

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़(राज.)

क्रमांक/रसद/न.उ.मू.दु./2023/480

दिनांक:-26.04.2023

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

प्रतापगढ़ जिले के उपखण्ड धरियावद, मे नगर पालिका क्षेत्र धरियावद के भाग तृतीय (सामान्य महिला), ग्राम पंचायत गाडरियावास भाग तृतीय (अनु.जन.जाति महिला), भाण्डला भाग तृतीय (सामान्य), पीपलिया भाग तृतीय (सामान्य), गोठड़ा भाग द्वितीय (सामान्य), देवला भाग द्वितीय (अनु. जन. जाति), माण्डवी भाग द्वितीय (सामान्य), जूना बोरिया (अनु.जन.जाति), शिवपुरी (अनु.जन.जाति), भोजपुर (सामान्य), वालीसीमा (अनु.जन.जाति), अणत (सेवानगर) (अनु.जन.जाति), पारेल भाग द्वितीय (सामान्य महिला), पहाड़ा (सामान्य), आड़ भाग प्रथम (सामान्य), आड़ भाग द्वितीय (अनु.जन.जाति), में नवीन उचित मूल्य दुकानदारों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। नवसृजित उचित मूल्य दुकानों में पूर्व से कार्यरत उचित मूल्य दुकान पर 500 राशन कार्ड एवं 2000 यूनिट की सुनिश्चितता करने के पश्चात् ही नवीन उचित मूल्य दुकान को यूनिट आवंटित की जावेगी।

आवेदक संबंधित ग्राम पंचायत निवासी हो, शैक्षणिक योग्यता स्नातक है स्नातक आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर सीनियर (Senior) पास को स्वीकार किया जा सकता है, कम्प्यूटर में Rajasthan knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त हो एवं 1 लाख रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र होना अनिवार्य हैं। तीन संतान होने पर आवेदक अपात्र होगा। चयन में ग्राम सेवा सहकारी समिती, लैम्पस, महिला अधिकारिता विभाग से मान्यता प्राप्त स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम पंचायतों को प्रथम वरियता दी जावेगी।

आवेदन पत्र 100 रुपये शुल्क जमा करवाकर कार्यालय समय में जिला रसद अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं एवं दिनांक 16.05.2023 तक निर्धारित प्रारूप में जिला रसद अधिकारी कार्यालय प्रतापगढ़ में जमा करवाए जा सकते हैं।

पात्रता के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जिला रसद अधिकारी, कार्यालय में तथा खाद्य विभाग की वेबसाईट पर देखे जा सकते हैं।


(बनवारीलाल मीणा)
जिला रसद अधिकारी
प्रतापगढ़
दिनांक:-26.04.2023

क्रमांक/रसद/न.उ.मू.दु./2023/481
प्रतिलिपी :-

1. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़ को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।


जिला रसद अधिकारी
प्रतापगढ़

आवेदन की योग्यताएँ एवं शर्तें

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्ता का छायां चित्र लगा होगा तथा एक छायां चित्र अलग से आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र केवल संबंधित जिला रसद कार्यालय से जारी किये जायेंगे। अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटरी बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/- रु निर्धारित है। जिला रसद कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का डी.डी अथवा पोस्टल ऑर्डर जमा कराया जाकर प्राप्त किये जा सकेंगे।

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डों में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदन उसी पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। (उचित मूल्य दुकान के क्षेत्र में निवासी होने के संबंध में प्रमाण पत्र स्वरूप राशनकार्ड/वोटर लिस्ट/ मूल निवास/ निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र/आधार कार्ड/जनआधार कार्ड में कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकेगा)
2. सभी क्षेत्रों के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदकों की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (उम्र के प्रमाण हेतु दसवीं की अंक तालिका/प्रमाण पत्र या अन्य अंक तालिका/प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो या पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/पेन कार्ड में से किसी एक की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है)
3. शैक्षणिक योग्यता स्नातक है स्नातक आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर सीनियर (Senior) पास को स्वीकार किया जा सकता है, कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.) या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिए। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदन यह शपथ पत्र देगा कि चयनित होने के 06 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जायेगा। आवेदन समितियां/समूह निकाय होने पर संबंधित अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
4. आवेदक को आवेदन पत्र में अंकित घोषणाओं के संबंध में 10/- रु के स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
5. आवेदक स्वयं अथवा आवेदक की पत्नी/पति निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए।
6. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई सन्तान सहित दो से अधिक सन्तान नहीं होना चाहिए। दिनांक 01.01.2015 के पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने की स्थिति में व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा।
7. प्रस्तावित दुकान का नक्शा साईट प्लान तथा रूट प्लान के साथ सही माप में दर्शा कर तीन प्रति में स्वप्रमाणित करके प्रस्तुत किया जावेगा। नक्शे में प्रस्तावित दुकान के आगे-पीछे व दायें-बायें स्थित भवनों/स्थानों/भूमि/सड़क का स्पष्ट विवरण दिशा ज्ञान के साथ अंकित किया जाना है। प्रस्तावित दुकान किरायें की होने पर अनुबंध की प्रति/स्वयं की होने पर पट्टे की प्रति स्वप्रमाणित

कर संलग्न की जावे। दुकान केन्द्रीय स्थल पर स्थित हो, ताकि उपभोक्ता आसानी से पहुंच सके। प्रस्तावित दुकान सुरक्षा एवं यातायात के साधन के दृष्टिकोण से उचित स्थान पर होनी चाहिए। आवेदन को प्रस्तावित दुकान के संबंध में अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे, जिस हेतु प्रस्तावित दुकान 30 फिट सड़क पर स्थित होकर न्यूनतम 200 वर्गफीट की होना तथा दुकान का द्वार/शटर न्यूनतम 10 फिट गुणा 10 फिट को होना आवश्यक है।

8. संबंधित तहसीलदार द्वारा आवेदक के संबंध में जारी न्यूनतम 100000/- का मूल हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। (हैसियत प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना होने पर मान्य नहीं होगा।
9. उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्रधारी जिनके विरुद्ध गम्भीर अनियमितताएँ पाये जाने पर गत 10 वर्षों में प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हो, तो ऐसे आवेदकों को उचित मूल्य दुकान आवंटित नहीं की जावेगी।
10. नवसृजित उचित मूल्य दुकानों में पूर्व से कार्यरत उचित मूल्य दुकान पर 500 राशन कार्ड एवं 2000 यूनिट की सुनिश्चितता करने के पश्चात् ही नवीन उचित मूल्य दुकान को यूनिट आवंटित की जावेगी।
11. चयन के प्राथमिकता क्रम :

प्रथम वरियता : (i) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस (वृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/ दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है (ii) निगमित निकाय।

- यदि आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह है तो आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला एवं बाल विकास से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र मय तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गम्भीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी अंश पूंजी विवरण, कार्यशील पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति मय उपनिदेशक/सहायक निदेशक की अभिशंषा संलग्न करनी होगी।
- यदि आवेदन सहकारी समितियां हैं जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो, तो आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। सहायक पंजीयक/उप पंजीयक से मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र मय तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गम्भीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी अंश पूंजी विवरण, कार्यशील पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति मय सहायक पंजीयक/उप पंजीयक की अभिशंषा संलग्न करनी होगी।

द्वितीय चरियता व्यक्तिगत : (प्रथम चरियता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर) (1) निःशक्त (2) महिलाएँ (i) शहीद की विधवा (चिरांगना) (ii) विधवा (iii) परित्यक्ता (3) भूतपूर्व सैनिक (4) वैरोजगार

- निःशक्त जान को स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र या समाज कल्याण का प्रमाण पत्र, चिरांगना को सेना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा परित्यक्ता को संबंधित विभाग का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक को सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र वैरोजगार को एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेंज का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
12. द्वितीय चरियता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य करने की अधिकतम सीमा 60 वर्ष की आयु तक होगी।
13. सभी आवेदकों को दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्नकर प्रस्तुत करने है।

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ 17(1)खा.वि/विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देश में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 दिशा निर्देश तथा रिक्त उचित मूल्य की दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट Food.raj.nic.in व जिला रसद कार्यालय प्रतापगढ़ में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

उक्त रिक्तियों में कमी/बढ़ोतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है। तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय सुरक्षित रहेगा।


(बनवारीलाल मीणा)
जिला रसद अधिकारी
प्रतापगढ़

क्रमांक/रसद/एफपीएस नियुक्ति/विज्ञप्ति/2022/482-87

दिनांक:- 26.04.2023

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् चरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, चतुर्थ मंजिल, खाद्य भवन शासन सचिवालय जयपुर राजस्थान उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट Food.raj.nic.in वा अपलोड करवाने वायत्।
3. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी प्रतापगढ़ को जिले के वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत्।
5. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, प्रतापगढ़।
6. उप निदेशक महिला अधिकारिता विभाग प्रतापगढ़।


जिला-रसद अधिकारी
प्रतापगढ़

प्राधिकृत उचित मूल्य दुकान के लिए प्राधिकार हेतु आवेदन

रिक्त दुकान के केन्द्र का विवरण जिसकी नियुक्ति हेतु आवेदन किया है

ग्राम पंचायत विज्ञप्ति में अंकित वितरण केन्द्रतहसील

1. आवेदक का नाम- पिता/पति का नाम
जन्म तिथि- / / उम्र वर्ग
2. आवेदक का पता (निवास)
ग्राम का नाम वार्ड संख्या ग्राम पंचायत मोबाईल नम्बर.....
फोन ई मेल पता
3. निवास के संबंध में संलग्न दस्तावेज
4. अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के होने पर संलग्न दस्तावेज -.....
5. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं संलग्न दस्तावेज -.....
कम्प्यूटर में डिप्लोमा हैं या नहीं संलग्न दस्तावेज -.....
6. आवेदित उचित मूल्य दुकान हेतु प्रस्तावित दुकान का विवरण -.....
प्रस्तावित दुकान के स्वामीत्व का प्रकार - स्वयं की हैं या किराये की
ग्राम.....मकान मालिक का नाम..... ग्राम पंचायत.....
दुकान के सामने सड़क की चौड़ाई
7. एक लाख का हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न है या नहीं -.....
8. आवेदक सहकारी समिति/लेम्पस/ महिला अधिकारिता विभाग से मान्यता प्राप्त महिला स्वयं सहायता समूह/सहकारी
दुग्ध उत्पादन समिति/ग्राम पंचायत हैं तो उसका विवरण.....
गठन का रजिस्ट्रेशन नम्बरमाह एवं वर्ष
9. संस्था या निगमित निकाय है, तो अध्यक्ष/प्रबन्धक/सचिव का नाम -
अध्यक्ष का नाम सचिव का नाम प्रबन्धक का नाम
दूरभाष/मोबाईल नं. दूरभाष/मोबाईल नं. दूरभाष/मोबाईल नं.
10. क्या संस्था या निगमित निकाय के द्वारा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु प्रस्ताव पत्र जारी है
11. उक्त संस्था या निगमित निकाय द्वारा लगाई गई पूंजी का विवरण
अंश पूंजी कार्यशील पूंजी
12. क्या उक्त संस्था या निगमित निकाय के द्वारा पहले से ही खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों का आदेश 1976 के
अन्तर्गत वितरण कार्य किया जा रहा है ? यदि हां तो किस स्थान पर ?

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

घोषणा

(जो लागू नहीं हो वह काट दें)

1. यह है कि मैंने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु प्रारूप "क" में आवेदन किया है जिसमें समस्त भरे गये बिन्दु सत्य हैं। मैंने/हमने उक्त आदेश, 1976 के उपबन्धों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और मैं/हम उक्त आदेश के उपबन्धों को तथा समय-समय पर तदधीन जारी दिशा निर्देशों की पालना करूंगा/करेंगे।
2. यह है कि मैं/संस्था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन किसी अपराध के लिए पूर्व में दण्डित नहीं किया गया हूँ।
3. यह है कि मैं/संस्था का पूर्व में उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र गम्भीर अनियमितताओं के कारण निरस्त नहीं हुआ है।
4. यह है कि परिवार के किसी सदस्य यथा माता, पिता, अविवाहित पुत्री, आश्रित पुत्र, माता-पिता पर आश्रित बालिग पुत्र के नाम पूर्व से कोई दुकान नहीं है।
5. यह है कि मेरे पास राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल) या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण है/नहीं है, किन्तु मैं यह प्रशिक्षण चयनित होने के 06 माह की अवधि में प्राप्त कर लूंगा/लूंगी। मुझे यह भी ज्ञात है कि यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा।
6. यह है कि मेरा दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं हैं। मुझे यह भी ज्ञात है कि उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के बाद यदि दिनांक 01.01.2015 के पश्चात् मेरी दो से अधिक संतान होगी तो ऐसा होने की स्थिति में प्राधिकार पत्र निरस्त हो जायेगा।
7. यह है कि मैं स्वयं अथवा मेरी पत्नी/मेरे पति वर्तमान में निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं हैं।
8. यह है कि मैं बालिग एवं स्वस्थ चित हूँ तथा दिवालिया घोषित नहीं हुआ हूँ या संस्था दिवालिया घोषित नहीं है।
9. यह है कि मुझे/संस्था को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
10. यह है कि मेरे द्वारा प्राधिकार पत्र हेतु संलग्न आवेदन पत्र में अंकित समस्त तथ्य एवं प्रस्तुत सूचनायें/दस्तावेज सही हैं और कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।
11. यह है कि उचित मूल्य दुकान का आवंटन होने पर मैं/संस्था दुकान का संचालन स्वयं करूंगा/करूंगी।
12. यह है कि मेरे घर में कार्यशील शौचालय हैं।
13. यह मेरी जानकारी में है कि गलत सूचनायें देना एवं ऐसा साबित होना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन दण्डनीय अपराध है।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार उपर्युक्त विशिष्टियाँ सही हैं और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मेरे/हमारे द्वारा दी गयी सूचनायें गलत पाये जाने पर आवेदन/उचित मूल्य दुकान का आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठों की कुल संख्या

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर